झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद   संख्या 59   वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीराम विकास पाठक एवं अन्य, ग्रा०-लालगढ़ व पंजरी खुर्द, प्र०-विश्रामपुर, जिला-पलामू ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–59 / 2023

अपीलकर्ता श्री रामविकास पाठक एवं अन्य, ग्राम–लालगढ़ व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू का अपील–आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अपील आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा राशन डीलर श्री जितेन्द्र राम, अनुज्ञप्ति सं0–02 / 06 के विरूद्ध माह अगस्त एवं माह अक्टूबर, 2022 का PMGKAY का खाद्यान्न 130 क्विंटल एवं NFSA का माह जुलाई, 2023 का 22.23 क्विंटल (कुल–153 क्वींटल) खाद्यान्न लाभुकों के बीच वितरण न कर, कालाबाजारी कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा उक्त राशन डीलर को निलंबित करते हुए सभी कार्डधारियों को निकटम राशन डीलर, इंद्रा महिला समूह, ग्राम+पंचायत–लालगढ़, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू के साथ सम्बद्ध किया गया है।

परिवाद–पत्र में उल्लेख है कि उक्त श्री जितेन्द्र राम द्वारा वितरित नहीं किये गये खाद्यान्न की कटौती वर्तमान राशन डीलर इंद्रा महिला समूह के माह अगस्त तथा सितम्बर, 2023 के आवंटन से की जा रही है। संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खाद्यान्न में कटौती किये जाने के कारण वर्तमान राशन डीलर इंद्रा महिला समूह के द्वारा लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है।

अपीलकर्ताओं द्वारा खाद्यान्न का गबन करने के आरोप में राशन डीलर, श्री जितेन्द्र राम, अनुज्ञप्ति सं0–02 / 06 के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् विधिसम्मत कार्रवाई करने एवं सभी राशन कार्डधारियों को न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–31.10.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx66